[14/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2385]

परिशिष्ट – "अ"

बिन्दु खः– महिला संबंधी अपराधों में समीक्षाः– वर्ष 2017 में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिलाओं पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत कुल 2344 महिला अत्याचार के अपराध पंजीबद्व हुये जिसकी तुलना में 2018 में 1996 अपराध घटित हुये, 2019 में 1921, 2020 में 2024 तथा 2021 में 2075 अपराध घटित हुये जो आधार पर 2017 की तुलना में आशिंक कमी परिलक्षित होती है। सामान्यतः अपराध वृद्दि के कारणों में जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव तथा महिला रिपोर्ट का शत प्रतिशत पंजीयन।

महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश में आम नागरिको को जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने सहित कई कदम उठाये गये रहे हैं:–

1. <u>महिला हेल्प डेस्क–</u> महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु भारत शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त जिलों के 700 थानों में 'ऊर्जा म0हिला हेल्प डेस्क' की स्थापना कर दिनांक 31.03.2021 को शुभारंभ किया गया। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के कुशल संचालन हेतु मुख्यालय द्वारा SOP उपलब्ध कराई गई है।
2. <u>महिला थानाः–</u> मानव दुर्व्यापार की रोकथाम एवं अनुसंधान हेतु म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.06.2021 जारी कर प्रदेश के 42 जिलों में "महिला पुलिस थाना" की स्थापना की गई। वर्तमान में प्रदेश में 52 महिला थाने संचालित हैं साथ ही उक्त 52 महिला थानों को संबंधित जिलों के लिए 'मानव तस्करी रोधी इकाई' घोषित किया गया है।
3. <u>Safe City Project</u> – गृह मंत्रालय, भारत शासन के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्भया फण्ड अंतर्गत Safe City Project का शुभारंभ किया गया है। Safe City Project के अंतर्गत महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा, आधुनिक तकनीक के माध्यम से महिला सुरक्षा, सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं Women Safety Management System तैयार किया जा रहा है।
4. <u>अधिकार पत्र–</u> नाबालिग अपहृत तथा गुमशुदा बालिकाओं के लंबित प्रकरणों में विवेचना की प्रगति के बारे में समय–समय पर परिजनों/सूचनाकर्ता को अवगत कराने के लिये दिनांक 29.01.2021 को दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है।
5. <u>महिला जागरूकता अभियान 'सम्मान'</u>– महिला अपराधों की रोकथाम हेतु समाज की सक्रिय सहभागिता, अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सचेत करने एवं महिलाओं को विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न विभागों के सहयोग से जन–जन का देश व्यापी 15 दिवसीय सघन जागरूकता अभियान 'सम्मान' दिनांक 11.01.21 से 26.01.21 तक चलाया गया।
6. <u>सूक्ष्म स्तरीय समीक्षा (Micro Level Monitoring)</u> – महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध घटित गंभीर, संवेदनशील एवं जघन्य अपराधों की रोकथाम एवं प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण व उन्नत अनुसंधान सुनिश्चित करने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर महिला सुरक्षा शाखा द्वारा, जोन एवं जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तरीय समीक्षा एवं दिशा निर्देश दिये जा रहे है।
7. <u>दोषमुक्ति प्रकरणों का अध्ययन</u> – महिला संबंधी अपराधों एवं पॉक्सो प्रकरणों में दोषमुक्ति के कारणों का मुख्यालय स्तर पर अध्ययन कर अनुसंधान से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश दोषसिद्व उन्नयन हेतु दिये जा रहे है।
8. <u>चिन्हित अपराध योजना</u>– 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ घटित गंभीर व संवेदनशील यौन उत्पीड़न, बलात्संग के प्रकरणों को "चिन्हित अपराधों" की सूची में लिया जाकर उनकी निरंतर गहन समीक्षा की जा रही है, ताकि आरोपी को कठोरतम दण्ड एवं पीड़ित को त्वरित एवं उचित न्याय दिलाया जा सके।

09. <u>महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास–</u>

(i) <u>बलात्संग के प्रकरणों में मृत्युदण्ड का प्रावधान–</u> (ii) <u>अपराध प्रवृत्त क्षेत्रों का चिन्हांकन</u>

(iii) <u>पेट्रोलिंग मोबाईल का संचालन</u> (iv) <u>जनजागरूकता कार्यकमों का आयोजन</u>

(v)<u>गिरफ्तारी हेतु 28 बिन्दुओं की चेक लिस्ट</u>

10 <u>महिला हेल्पलाईन–1090</u>– प्रदेश में महिला, बच्चों एवं बुजुर्गों की पुलिस तक सुगम एवं निर्भीक पहुँच हेतु शासन द्वारा 01 जनवरी 2013 से 24x7 राज्य स्तरीय महिला हेल्प लाईन 1090 सेवा संचालित की गई है ।

11 <u>मुस्कान अभियान</u> :– गुम नाबालिग बालक–बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु अपराध अन्वेषण विभाग, पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 06.01.2021 से 31.01.2021 तक एवं 15.07.21 से 31.08.21 तक विशेष अभियान 'ऑपरेशन मुस्कान' संचालित किये गये।

3/3/22
AIG A.J.W.
PHQ, BHOPAL

Scanned with CamScanner